न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2455–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी प्रकरण कमांक 287/निगरानी/2011–12.

सहावुद्दीन अंसारी मृत वारिस–
1. मुस0 अदीना बानो पत्नी स्व0 सहाबुद्दीन अंसारी
2. जकरूल्ला अंसारी तनय स्व0 सहाबुद्दीन अंसारी
3. मो. ओसीउल्ला तनय स्व0 सहाबुद्दीन अंसारी
4. मो0 अमरूल्ला अंसारी तनय स्व0 सहाबुद्दीन अंसारी
सभी निवासी ग्राम दुधमनिया तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

राजेन्द्र सिंह तनय बब्बू सिंह गहरवार
निवासी ग्राम दुधमनिया तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री धमेन्द्र चर्तुवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला सीधी के आदेश दिनांक 21–6–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दुधमनिया तहसील सिहावल की नामांतरण पंजी कमाक 7 में पारित आदेश दिनांक 9–2–88 के विरूद्ध म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन के साथ अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26–8–2011 को

अपील को समय–सीमा में मान्य किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनरांक 21–6–12 के द्वारा आवेदक की निगरानी अस्वीकार अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने प्रकरण का अभिलेख के आधार पर निराकरण करने का अनुरोध किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी में सलग्न इश्तहार के अवलोकन से इश्तहार का विधिवत प्रकाशन नहीं पाते हुये और अनावेदक को जानकारी नहीं होने से जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत किया जाना पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में माना है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को म्याद अधिनियम की धारा 5 पर जबाव प्राप्त कर सुनवाई का अवसर देने उपरांत विस्तृत आदेश पारित कर अपील को समय–सीमा में मान्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए अपर कलेक्टर द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर सीधी का आदेश दिनांक 21–6–2012 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर